बीरेंद्र कुमार,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स फ्रंटलाइन (एनसीआर) बिजनेस सोलूशन्स प्रा0 लिमिटेड, निदेशक– श्री बीरेंद्र कुमार, 301, तीसरी मंजिल पटना, सुपर मार्केट फ्रेजर रोड, पटना द्वारा पटना क्लस्टर–16 (पटना सोन–19 बालू घाट), मौजा–बिंदौल, अंचल–बिहटा, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, बिहटा, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2393/2023, dated 12.05.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, बिहटा, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 22.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (880 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री योगेन्द्र सिंह, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान परिवहन से बहुत धूल–कण उड़ता है। जब नई कम्पनी आती है तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठीक से होता है बाद में अनुपालन नहीं किया जाता है। बालू खनन अधिक करने से पानी की दिक्कत हो जाती है। चापाकल सुख जाते है। पेड़–पौधे भी सुख जाते हैं। इसपर निगरानी किया जाये। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में जितने भी शर्तें हैं उनको नियमित रूप से पाँच सालों तक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। खनन निरीक्षक द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनपर विधि सम्मत जुर्माना लगाया जायेगा एवं कारवाई की जायेगी।
2.	श्री विकास कुमार सिंह, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाय। खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है, इससे किसानों के लिए बोरिंग बनवाया जाय। बच्चों के लिए स्कूल बनवाया जाय।
3.	श्री अभिजित कुमार सिंह, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल

		इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है, इससे स्कूल में पानी , बेंच डेस्क एवं शौचालय की व्यवस्था की जाय। साथ–ही–साथ प्रभावित क्षेत्र में पार्क विकसित की जाय।
4.	श्री बब्लू कुमार, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन परियोजना में पौधा कम्पनी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा या नहीं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा ? पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में 880 पेड़ लगाये जायेंगे। अगर आम जनता अपना रैयत जमीन पर पेड़ लगाने के इच्छुक रहेंगे तो उनको निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराये जायेंगे। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
5.	श्री दिलिप कुमार, ग्राम–घोड़ाटाड, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पानी का छिड़काव पूरा पंचायत में कम–से–कम 03 बार कराया जाय।
6.	श्री आनंद मोहन, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में जो रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। उनको कितना पैसा देने का प्रावधान है। सरकार के गाईड लाईन में ऐसा कुछ है कि नहीं। खनन निरीक्षक द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई गाईड–लाईन नहीं है। यह आपसी सामंजस की बात है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

29-8-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

28/8/23

अपर जिला दण्डाधिकारी,
पटना

उपस्थिति सूचि

मेसर्स फ्रंटलाइन (एनसीआर) बिजनेस सोलूशन्स प्रा0 लिमिटेड, निदेशक–श्री बीरेंद्र कुमार द्वारा पटना क्लस्टर सोन –16 बालू घाट, मौजा–बिंदौल, अंचल–बिहटा, जिला–पटना में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान–अंचल कार्यालय, बिहटा   दिनांक 22.08.2023   समय–03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अभिनाश सिंह	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	[signature]
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद, पटना	[signature] 22.8.23
3.	सैयद फरहीन	जिला खनन कार्यालय, पटना	Farheen 22/08/23
4.	नीतीश कुमार	P&M Solution Noida (Env. Consultant)	Nitish Ku.
5.	शहबाज अहमद	जिला खनन कार्यालय पटना	Shahbaz Ahmed 22.08.23
6.	भुजबल कुमार	P&M Solution (Env. Consultancy)	BHUJBal Kumar
7.	विकाश कुमार सिंह	Bindaul	BiKash Kumar Singh
8.	मनीष कुमार (प्रतिनिधि) गुलहरा बाजार बिहटा	फ्रंटलाइन N.C.R. बिजनेस सोलूशन प्रा० लि०	[signature]
9.	सतेन्द्र सिंह	बिन्दौल	[signature]
10	बबलू कुमार	बिन्दौल	[signature]
11	अभिजीत कुमार	बिन्दौल	Abhijit
12	ज्योतिष कुमार	बेन्दौल	Jyotish
13	संजय कुमार	बेन्दौल	[signature]
14	Birendra Kumar	Bendol	[signature]
15	दिलीप कुमार	चोरहा	दिलीप कुमार
16	Gautam Kumar	PARIO	Gautam Kr.
17	Amarendra Kumar	Bendaul	[signature]
18			
19			
20			
21			